प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, देहरादून
जी0एम0एस0 रोड, महारानीबाग, देहरादून।

सेवा मे,

प्रभागीय वन अधिकारी
कालसी भूमि संरक्षण, वन प्रभाग, कालसी, देहरादून।

पत्रांकः– /न0ख0दे0/कटापत्थर लिफ्ट सिंचाई योजना/ दिनांक 11/7/2022

विषयः– **जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पपड़ियान, टौलीम्डु, लांघा ग्राम सभा के लोअर पीपलसार एवं अपर रूद्रपुर ग्रामों की स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण हेतु 0.18 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 2369/F.P./UK/IRRIG/54975/2022, दिनांक 23/June/2022।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जो वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सम्बोधित है एवं प्रतिलिपि इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा उक्त योजना के निर्माण में मुख्य डिलीवरी पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.18 हैक्टेयर वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर आपके कार्यालय द्वारा अग्रसारित कर, वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड के कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकृति हेतु कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर को प्रेषित किया गया। कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षण महोदय द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण में की कुछ त्रुटियां पाई गई है, जिनका निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार से हैं–

बिन्दु सं0–1– पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषय सूची संलग्न कर दी गई है।
बिन्दु सं0–2– प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र भाग–01 को बिन्दु सं0 1(क) पर सूचना भर दी गई है।
बिन्दु सं0–3– भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–02 में हरियाली का घनत्व अंकित कर दिया गया है।
बिन्दु सं0–4– प्रस्तावित परियोजना को सभी मानचित्रों में यथास्थान दर्शाया गया है।
बिन्दु सं0–5– वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित पत्रों को पृष्ठ संख्या के अनुसार सूची में उल्लेख कर दिया गया है।
बिन्दु सं0–6– अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
बिन्दु सं0–7– बिछाई जाने वाली पाईप लाईन का व्यास सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
बिन्दु सं0–8– परियोजना का लेआउट प्लान संलग्न कर दिया गया है।
बिन्दु सं0–9– प्रस्ताव की एक अतिरिक्त प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
बिन्दु सं0–10– Part II में Working plan से सम्बन्धित सूचना भर दी गई है। (बिन्दु सं0–06)

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 1325 /न0ख0दे0/कटापत्थर लिफ्ट सिंचाई योजना/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकरी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री सत्ये सिंह, सहायक अभियन्ता चतुर्थ, नलकूप खण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि योजना के वन भूमि प्रस्ताव मे त्रुटियो का समाधान करते हुये प्रस्ताव को कालसी भूमि संरक्षण, वन प्रभाग कालसी के माध्यम से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फौरेस्ट कौलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय मे उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, देहरादून

AE Letter-2022-23